तारीख हुक्म	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व अहकाम हुक्म की में जारी
30-5-17	~~पत्रावली पेश हुई/वकील वादी/प्रतिवादी/ अपीलार्थी/रेस्पोन्डेन्ट/प्रार्थी/अप्रार्थी/उभयपक्ष उपस्थित है/अनुपस्थित है। श्रीमान् पीठासीन अधिकारी भ्रमण पर है/अवकाश पर है/अन्य कार्यों में व्यस्त है/… हो गया है।~~ अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 20-6-17 को पेश हो। रीडर	
20-6-17	वकील प्रार्थी उपस्थित है। अप्रार्थी नं० 2 विकास अधिकारी को सम्मन की तामील नहीं हुई है। बइन्तजार सम्मन पत्रावली दि० 28-6-17 को पेश हो। उप जिला कलेक्टर	
28-6-17	वकील प्रार्थिया उपस्थित है। अप्रार्थीगण की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं है। प्रार्थिया के वकील को सुना गया। वास्ते निर्णय पत्रावली दि० 30-6-17 को पेश हो। उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी	
30-6-17	पत्रावली राजस्व लोक अदालत कैम्प गंगापुर पर पेश हुई। वकील प्रार्थिया उपस्थित है। प्रा० पत्र प्रार्थिया स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर पत्रावली में शामिल किया गया। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी	

निर्णय
ए

मुकदमा
21/201
श्रीमती
गंगापुर

1. सरक
2. विका

उपस्थित

प्र
खातेदा
है। इस
है। उक
साल न
की पत्
ही को
की खा
4988
पत्थरग

गया।
की ओ

2069
नक्शा
है।

निर्णय न्यायालय श्री बाबूलाल जाट, आर0ए0एस0, उप जिला कलेक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
21/2015	18.5.2015	30.6.2017

श्रीमती आरिफा बानो पत्नि अब्दुल शाहिद, मुसलमान निवासी पटेल नगर गंगापुर सिटी तहसील गंगापुर सिटी —प्रार्थिया

बनाम

1. सरकार जरिए तहसीलदार तहसील गंगापुर सिटी
2. विकास अधिकारी, पंचायत समिति गंगापुर सिटी —अप्रार्थीगण

प्रार्थना बाबत पत्थरगढी करवाने

उपस्थित :— श्री मोहम्मद इस्लाम , एडवोकेट, प्रार्थिया की ओर से
लैण्ड होल्डर तहसीलदार गंगापुर सिटी, अप्रार्थी

निर्णय

प्रार्थिया ने प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया है कि उसकी खातेदारी की भूमि ख0नं0 4976 रकबा 0.58 हैक्टर ग्राम उदेईकलां में स्थित है। इसके पश्चिम की ओर सरकारी नहर ख0नं0 4988 रकबा 0.12 है0 स्थित है। उक्त नहर कच्ची है जिसकी कोई सीमा निर्धारण नहीं है। गांव वाले हर साल नहरों पर विवाद करते रहते हैं इसलिए प्रार्थिया अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढी करवाना चाहती है जिससे कोई विवाद पैदा नहीं हो और ना ही कोई झगडा पैदा हो। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थिया की खातेदारी भूमि ख0नं0 4976 रकबा 0.58 हैक्टर व सरकारी नहर ख0नं0 4988 रकबा 0.12 है0 ग्राम उदेईकलां की सीमा पर सीमा निर्धारण के लिए पत्थरगढी करवाने के आदेश प्रदान करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी नं0 2 बाबजूद सूचना उपस्थित नहीं हुए। दोनों की अप्रार्थीगण की ओर प्रार्थना पत्र का कोई जबाब प्रस्तुत नहीं किया गया।

प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रार्थिया ने फोटोकोपी नकल जमाबंदी सं0 2069 से 2072 ग्राम उदेईकलां बाबत ख0नं0 4976, ख0नं0 4988, नकल नक्शा ट्रेस, नकल सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 14.6.14, दिनांक 5.9.15 पेश किए हैं।

अप्रार्थीगण की ओर से कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए हैं।

बहस विद्वान वकील उभयपक्ष सुनी गई।

प्रार्थिया के विद्वान वकील ने अपने प्रार्थना पत्र के अनुरूप बहस करते हुए कहा कि प्रार्थिया की भूमि ख0नं0 4976 ग्राम उदेईकलां में स्थित है जिस

पर प्रार्थिया काबिज काश्त है। प्रार्थिया की भूमि के पास ही नहर की भूमि ख0नं0 4988 रकबा 0.12 है0 स्थित है जो कच्ची नाली के रूप में है जिस पर ग्रामवासियों द्वारा आये दिन विवाद किया जाता है । प्रार्थिया अपनी भूमि का सीमाज्ञान करवा चुकी है । आये दिन विवाद से बचने के लिए प्रार्थिया अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढी करवाना चाहती है जिसके लिए यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जो स्वीकार फरमाया जावे एवं प्रार्थिया की खातेदारी भूमि की पत्थरगढी के लिए तहसीलदार गंगापुर सिटी को आदेश फरमाया जावे।

अप्रार्थी लैण्ड होल्डर ने प्रार्थिया के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किए जाने पर कोई आपत्ति नहीं होना प्रकट किया है।

बहस पर मनन किया। प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध फोटोकोपी नकल जमाबंदी सं0 2069 से 2072 के अनुसार ख0नं0 4976 रकबा 58 एयर ग्राम उदेईकलां प्रार्थिया की खातेदारी में दर्ज है एवं ख0नं0 4988 रकबा 12 एयर ग्राम उदेईकलां सिंचाई विभाग के नाम दर्ज है। भविष्य में होने वाले किसी विवाद से बचने के लिए प्रार्थिया को अपनी भूमि की पत्थरगढी कराने का अधिकार है एवं इसके लिए उसने इस न्यायालय में विधिवत रूप से आवेदन किया है फलस्वरूप प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने योग्य है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थिया आरिफा बानो का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उसकी खातेदारी में दर्ज भूमि ख0नं0 4976 रकबा 58 एयर ग्राम उदेईकलां की प्रार्थिया को पत्थरगढी कराने हेतु तहसीलदार गंगापुर सिटी को आदेश दिया जाता है। आदेश की एक प्रति तहसीलदार गंगापुर सिटी को पालना हेतु भिजवाई जावे।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 30.6.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(बाबूलाल जाट)
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स०मा०)